



# मुख्यालय उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें

महानगर, लखनऊ-226006

संख्या: टीएस-सीसीटीएनएस-75/12 पार्ट-6

दिनांक: मार्च 30, 2019


सेवा में,

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,  
प्रभारी जनपद उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक 27.03.2019 को पुलिस विभाग में प्रचलित विभिन्न App की समीक्षा की गयी। जिसमें पुलिस विभाग में प्रचलित UP COP App के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय एवं पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा काफी सराहना की गयी, इसको अधिक से अधिक लोकप्रिय एवं प्रभावी बनाने के लिए जनपद स्तर पर प्रयास करने के सन्दर्भ में निर्देशित किया गया है।

2. UP COP मोबाईल App के प्रचार-प्रसार हेतु सभी थानों पर 8 X 5 के साईज का बोर्ड लगायें जिसमें App के प्रचार-प्रसार हेतु विवरण अंकित किया जाए। बोर्ड पर अंकित किये जाने वाले आलेख का प्रारूप आपके पास e-mail के द्वारा भेजा जा रहा है। UP COP App के माध्यम से दर्ज मुकदमों का समय-समय पर स्थानीय समाचार-पत्रों में प्रचार-प्रसार हेतु प्रकाशन कराया जाय तथा UP COP मोबाईल App के सम्बन्ध में स्थानीय नागरिकों को जागरूक करें।

3. उक्त के अतिरिक्त UP Police PMS Mobile App सम्बन्ध में पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के आदेश संख्या टीएस-सीसीटीएनएस-98/2018 दि. 22.11.2018 के माध्यम से भेजी गयी एसओपी के अनुसार कार्यवाही करते हुए समीक्षात्मक आख्या प्रत्येक माह की 5 तारीख को तकनीकी सेवायें मुख्यालय उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



(आशुतोष पाण्डेय)

अपर पुलिस महानिदेशक,  
तकनीकी सेवायें, उ0प्र0,  
लखनऊ।

प्रतिलिपि: निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं अनुपालन कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित:

1. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।



# UPCOP मोबाइल ऐप

गूगल प्ले स्टोर या ऐपल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें

## रजिस्टर ई-FIR

इन अपराधों में अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध मोबाइल से FIR पंजीकृत कराने तथा रिपोर्ट प्राप्त करने की अनूठी सुविधा



आपका अपना थाना  
आपका अपना ऐप

ई-प्राथमिकी पंजीकरण	प्राथमिकी देखें	खोयी वस्तु का पंजीकरण	स्थिति खोजें/ डाउनलोड करें	अपना थाना जानें	चुराये गये/ बरामद वाहन
चरित्र प्रमाणपत्र	घरेलू सहायता सत्यापन	किरायेदार सत्यापन	सूचनाएं साझा करें	खराब व्यवहार	साइबर जागरूकता



शिकायत कर्ता के मोबाइल पर सूचना SMS द्वारा भेजा जाएगा

- अपराध पंजीकृत होने
- विवेचना स्थानान्तरित होने
- अभियुक्त गिरफ्तार होने
- माल बरामदगी होने
- चार्जशीट/फ़ाइनल रिपोर्ट लगने
- जाँच अधिकारी का नाम एवं मोबाइल नम्बर

वाहन चोरी

वाहन लूट

सामान्य चोरी

नकबजनी

साइबर अपराध

पर्स, बैग, चेन मोबाइल चोरी/छिनना

नाबालिग बच्चों की गुमशुदगी



उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवाएं द्वारा विकसित

दिनांक 27.03.2019 (बुधवार) को पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० की अध्यक्षता में पुलिस Apps की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित हुए:-

- 1- श्रीमती अंजु गुप्ता, अपर पुलिस महानिदेशक, वीमेन पॉवर लाइन-1090, उ०प्र०, लखनऊ।
- 2- श्री आशुतोष पाण्डेय, अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3- श्री संजय सिंघल, अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- श्री डी०के० ठाकुर, अपर पुलिस महानिदेशक, आईटेक्स यू०पी०-100, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- श्री दीपक रतन, पुलिस महानिरीक्षक, यातायात, उ०प्र० लखनऊ।
- 6- मो० इमरान, पुलिस अधीक्षक, आईटेक्स यू०पी०-100, उ०प्र०, लखनऊ।

बैठक में कुल 12 Apps पर चर्चा की गई, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

- 1- UP COP
- 2- PMS
- 3- Trinetra
- 4- UP-100
- 5- Case Monitor
- 6- 1090
- 7- 1090 Neo
- 8- UP Traffic
- 9- S10
- 10- Smart e-Police
- 11- Reunion
- 12- E-Maalkhana

पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा बैठक में उपस्थित अधिकारियों के साथ Apps के सभी पहलुओं पर सूक्ष्मता से विचार-विमर्श करके निम्नलिखित निर्देश दिये गये:-

### 1- UP COP App

UP COP App को और अधिक प्रचारित एवं प्रसारित किया जाए। माह अप्रैल, 2019 के अन्त तक इसके कुल डाउनलोड का लक्ष्य 2,50,000 से अधिक का निर्धारित किया गया एवं यह निर्देशित किया गया कि इस App को आम जनमानस के बीच अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाया जाये। इसे लोकप्रिय बनाये जाने हेतु निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिये निर्देशित किया गया:-

- (A) App की 15 से 20 सेकेण्ड की एक डाक्यूमेंट्री फिल्म बनाकर प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा मूवी थियेटर में चलवाया जाए। (कार्यवाही -PRO to DGP)
- (B) सोशल मीडिया एवं एफ०एम० रेडियो के माध्यम से प्रचार-प्रसार। (कार्यवाही -PRO to DGP)
- (C) प्रदेश के सभी थानों पर UP COP App का बोर्ड लगवाया जाए।
- (D) यदि संभव हो तो यू०पी०-100 की गाड़ियों में UP COP App का बोर्ड लगवाया जाए।
- (E) पम्पलेट छपवाकर समाचार पत्रों के माध्यम से वितरित कराया जाए।

अपर पुलिस महानिदेशक  
तकनीकी सेवायें, उत्तर प्रदेश

28/3/19

- ✓ (F) सर्विस प्रोवाइडर से वार्ता कर फोन के माध्यम से प्रचार-प्रसार।  
(G) अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, उ0प्र0 नोडल अधिकारी होंगे।

(कार्यवाही - अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें,  
समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक,  
PRO to DGP)

## 2- UP Police PMS App

✓ PMS App के सम्बन्ध में पुलिस महानिदेशक द्वारा निर्देशित किया गया कि:-

- (A) सभी अपर पुलिस महानिदेशक, जोन्स यह सुनिश्चित करेंगे कि इस App की जानकारी सभी परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक एवं जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को पूर्ण रूप से रहे एवं इसका अधिक से अधिक सदुपयोग किया जाए।  
(B) प्रत्येक माह की 5 तारीख तक अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, उ0प्र0 द्वारा भेजे जा रहे प्रारूप में सभी जोनल अपर पुलिस महानिदेशक इसके सम्बन्ध में सूचना अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें को भेजना सुनिश्चित करेंगे, जिसे अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें द्वारा अद्यावधिक कर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के अवलोकनार्थ प्रेषित किया जायेगा।  
(C) राजकीय रेलवे पुलिस को भी PMS App से जोड़ा जाए।  
(D) अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, उ0प्र0 नोडल अधिकारी होंगे।

(कार्यवाही-अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें/रेलवे,  
समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक)

## 3- Trinetra App

वर्तमान में प्रचलित Trinetra App के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि:-

- (A) App की Impact Analysis अगले 15 दिनों में की जाय, जिससे यह पता चल सके कि इस App का उपयोग करने से कितना फायदा हो रहा है।  
(कार्यवाही-अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध,  
पुलिस अधीक्षक, आईटेक्स यू0पी0-100)  
(B) निर्देशित किया गया कि अगले 15 दिनों में यह पता कर लिया जाए कि उत्तर प्रदेश के सभी थानों में से कितने थानों में इसका उपयोग हो रहा है एवं पिछले कुछ समय में जिलेदार/रेंजवार/जोनवार जो भी सुविधाजनक हो यह पता करा लिया जाए कि कौन-कौन से जिले इस App का अधिक सदुपयोग कर रहे हैं और कौन-कौन से जिलों ने कम उपयोग किया है।  
(कार्यवाही-अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध)  
(C) इस App का उपयोग किये जाने से सम्बन्धित आख्या प्रत्येक माह की 5 तारीख तक अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उ0प्र0 के माध्यम से पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के अवलोकनार्थ प्रेषित की जायेगी।  
(कार्यवाही-अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध,  
समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक)  
(D) अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उ0प्र0 नोडल अधिकारी होंगे।

#### 4- UP-100 APP

पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा निर्देशित किया गया कि:-

- (A) अगले 2 माह में प्रत्येक पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को इस App के सम्बन्ध में जानकारी है, जिससे उनके क्षेत्र में यू०पी०-100 की गाड़ियों की लोकेशन सम्बन्धी सूचना उन्हें निरन्तर पता रहे।
- (B) लोकसभा चुनाव के उपरान्त सभी जनपदों में प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को सभी Apps के सम्बन्ध में एक दिन की ट्रेनिंग दी जायेगी एवं इसके उपरान्त जब भी कोई प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष पहली बार थाना प्रभारी बनाया जायेगा तो उसे भी एक दिन की ट्रेनिंग सभी प्रचलित Apps के बारे में प्रदान की जायेगी।
- (C) अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, उ०प्र० नोडल अधिकारी होंगे।

(कार्यवाही-अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें/आईटेक्स यू०पी०-100, समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०)

#### 5- 1090 एवं 1090 Neo App

पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा निर्देशित किया गया कि:-

- (A) अपर पुलिस महानिदेशक, वीमेन पॉवर लाइन-1090 द्वारा पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० के समक्ष यह रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी कि प्रदेश में ऐसे कौन-कौन से जिले हैं, जहाँ वर्ष 2018 में वर्ष 2017 की तुलना में महिलाओं के साथ छेड़खानी एवं अन्य कोई महिला सम्बन्धी अपराध अप्रत्याशित रूप से बढ़े हैं।
- (B) इन रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2018 में कितने मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
- (C) अपर पुलिस महानिदेशक, वीमेन पॉवर लाइन-1090 नोडल अधिकारी होंगे।

(कार्यवाही-अपर पुलिस महानिदेशक, वीमेन पॉवर लाइन-1090, उ०प्र०)

#### 6- E-Maalkhana

वर्तमान समय में यह App बहुत ही कम जगहों पर प्रयोग में लाया जा रहा है। इसकी उपयोगिता को देखते हुये पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा निर्देशित किया गया कि यह App उ०प्र० तकनीकी सेवायें द्वारा चलाया जायेगा एवं इसे प्रदेश के सभी जनपदों में अगले 3 महीने में प्रयोग में लाये जाने की कार्यवाही योजनाबद्ध तरीके से सुनिश्चित कराई जायेगी।

(कार्यवाही-अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, उ०प्र०)

#### 7- Miscellaneous

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रचलित सभी App उदाहरण के लिये S10, Smart e-Police एवं Reunion App के सम्बन्ध में अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, उ०प्र० द्वारा इसकी उपयोगिता का आंकलन करके इनके सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी। पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि सभी प्रचलित App या भविष्य में कोई नया App लॉच किये जाने से पूर्व उसे अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, उ०प्र० से approved कराना आवश्यक होगा।

(कार्यवाही - अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, उ०प्र०)

8- बैठक में पुलिस महानिदेशक द्वारा निर्देशित किया गया कि S10, Smart e-Police एवं Reunion App के सम्बन्ध में अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज यह जानकारी प्रस्तुत करेंगे कि ऐसे प्रत्येक App पर वर्ष 2018 में कितनी धनराशि व्यय हुई है।

(कार्यवाही -अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज)

9- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि वर्तमान में प्रचलित Citizen Centric जितने भी Apps हैं, उन्हें UP COP App के अन्तर्गत समावेशित किया जा सकता है या नहीं, के बारे में यथासंभव सभी संभावनाओं को तलाश करने की कोशिश की जाये।

(कार्यवाही - अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, उ0प्र0)

संख्या- डीजी - सात - एचसी (सर्वर अधिष्ठान) 18 पार्ट 2 (सुजीत पाण्डेय)  
दिनांक: लखनऊ: मार्च 27, 2019  
अपर पुलिस महानिदेशक/  
जनरल स्टॉफ ऑफिसर,  
पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।

प्रतिलिपि : निदेशानुसार निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त जौनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, वीमेन पॉवर लाइन-1090 लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
5. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0 लखनऊ।
6. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उ0प्र0 लखनऊ।
7. अपर पुलिस महानिदेशक, आईटेक्स, यू0पी0-100, उ0प्र0 लखनऊ।
8. पुलिस महानिरीक्षक, यातायात, उ0प्र0 लखनऊ।
9. पुलिस अधीक्षक, आईटेक्स/यू0पी0-100, उ0प्र0 लखनऊ।
10. अपर पुलिस अधीक्षक/जन सम्पर्क अधिकारी, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।



# उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय,

महानगर लखनऊ 226006

पत्रांक-टीएस-सीसीटीएनएस-98/2018  
सेवा में,

दिनांक: लखनऊ, नवम्बर 22, 2018

समस्त अपर पुलिस महानिदेशक जोन, उत्तर प्रदेश।  
समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र उत्तर प्रदेश।  
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद उत्तर प्रदेश।

**विषय:- UPPolice PMS Mobile app के माध्यम से प्रदेश में क्षेत्राधिकारी स्तर पर थानों का प्रतिवर्ष त्रैमासिक पर्यवेक्षण एवं संबंधित जोन के अपर पुलिस महानिदेशक द्वारा अधीनस्थ क्षेत्राधिकारियों के कार्यों की समीक्षा किये जाने हेतु SOP (Standard operating procedures मानक संचालन प्रक्रियाएं) विषयक।**

**सन्दर्भ:-** अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ द्वारा प्रेषित समांक पत्र दिनांकित 20.11.2018

ज्ञातव्य हो कि सीसीटीएनएस योजना के सफल क्रियान्वयन तथा इसे और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से UPPolice PMS Mobile app इस मुख्यालय स्तर से विकसित कराया गया है। जिसमें प्रदेश के सभी थानों, क्षेत्राधिकारी कार्यालयों, जनपद परिक्षेत्र/ जोन स्तर के उच्च कार्यालयों का मूल्यांकन एवं समीक्षा मोबाइल पर आसानी से किया जा सकता है।

2. उक्त मोबाइल ऐप थानों द्वारा सीसीटीएनएस पोर्टल के कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर (CAS) में की गयी कार्यवाही तथा क्षेत्राधिकारी द्वारा Inspection Details भरने के आधार पर सभी कार्यालयों का मूल्यांकन दर्शाता है। इस मोबाइल ऐप को Google Play Store से download किया जा सकता है। जिससे सीसीटीएनएस पोर्टल के कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर (CAS) की यूजर आईडी एवं पासवर्ड दर्ज कर उपयोग में लाया जा सकता है।


3. इस सम्बन्ध में कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर (CAS) के माध्यम से पुलिस के समस्त प्रपत्रों एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनायें दर्ज किये जाने का सम्पूर्ण पर्यवेक्षण, पुलिस कार्मिकों के खिलाफ कार्यवाही, परिसर का रख-रखाव, नागरिक प्रतिक्रिया, कानून और व्यवस्था की स्थिति, सामुदायिक बैठक के आयोजन, अच्छे काम के लिए अंक दिया जाना आवश्यक है, इस सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारी द्वारा Inspection Details भरने की SOP (Standard operating procedures मानक संचालन प्रक्रियाएं) संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि प्रदेश के समस्त क्षेत्राधिकारी उक्त ऐप में त्रैमासिक Inspection Details दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त सन्दर्भ में इस प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्राधिकारी जिम्मेदार होंगे। उक्त कार्य में शिथिलता न आने पाये इस हेतु जोन/ परिक्षेत्र/ जनपद के पुलिस प्रमुख प्रभारी इस कार्यवाही व प्रक्रिया का नियमित पर्यवेक्षण करें।

4. जनपद पुलिस प्रभारी मासिक गोष्ठियों एवं अपराध गोष्ठी अथवा काइम मीटिंग में अधिकारियों को जागरूक करें। पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा सभी अपर पुलिस महानिदेशक, जोन को क्षेत्राधिकारियों के कार्यों की समीक्षा इस एप्प के माध्यम से करने के लिए निर्देशित किया गया है। सम्बन्धित जनपदीय पुलिस प्रभारी अपने अधीनस्थ थानों के कार्यों की समीक्षा इस एप्प के माध्यम से करें एवं क्षेत्राधिकारियों द्वारा थानों की ऑन-लाइन त्रैमासिक निरीक्षण भी इस एप्प से करायें।

5. समस्त क्षेत्राधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी थानों का ऑन-लाइन निरीक्षण दिनांक 29.11.2018 तक उक्त एप्प के माध्यम से कर लें। पुनः यह प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष के माह जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर के प्रथम पक्ष में क्षेत्राधिकारियों द्वारा की जायेगी। इस व्यवस्था को जनपदीय पुलिस प्रभारी एवं जोन के अपर पुलिस महानिदेशक कियान्वित कराकर समीक्षा करते रहेंगे।

समन्वयक अधिकारी-सुश्री तरु माथुर, प्रोग्रामर ग्रेड-2, उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ से सीयूजीन0-9454405237 पर सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।

संलग्नक-यथोपरि मेल द्वारा प्रेषित।

  
(ओ0पी0 सिंह)  
पुलिस महानिदेशक,  
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस महानिदेशक के जनरल स्टाफ आफीसर, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. समस्त जोन कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड-ए) उत्तर प्रदेश।
7. समस्त परिक्षेत्र कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड-ए) उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जनपद कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड-ए) उत्तर प्रदेश।
9. श्री दिग्विजय, कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड-ए), उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि समस्त कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए को क्यू-मेल के माध्यम से प्रेषित किये जाने व अभिलेखार्थ रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने हेतु।
10. प्रभारी ईमेल को पत्र मेल व वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।